9/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढा

निगरानी संख्या 2/2019 तारीख रजू 14.03.2019

सत्यवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शिवाड तह0 चौथ का बरवाडा।

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचाायत शिवाड।

2. राजराजेश्वर सिंह पुत्र शिवप्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी शिवाड।

3. उप पंजीयक तहसील चौथ का बरवाडा।

निर्णयः— दिनांक 29.3.19

प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 20.06.14 मिसल संख्या 129/223 एवं प्रस्ताव संख्या 4 ग्राम पंचायत शिवाड द्वारा पारित आदेश के विरूद्व पेश की गयी तथा ग्राम पंचायत शिवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.14 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थी संख्या 2 मय अधिवक्ता उपस्थित आए, तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 बावजूद तामील रिपोर्ट अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानी गुजार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने एक भू खण्ड जिसकी सीमाऐं पूर्व पश्चित 115 फिट व उत्तर दक्षिण 42 फिट कुल क्षेत्रफल 4830 वर्गफिट अर्थात 536 वर्गगज भूखण्ड का एक पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत शिवाड से अपने पक्ष में जारी कर लिया गया है जो कानून एवं विधि के विपरित होने से निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1956 की धारा 148 के तहत आपत्ति नोटिस एक माह का किसी भी

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सार्वजनिक स्थान पर चस्पा नहीं किया गया है तथा उक्त आपत्ति नोटिस केवल फाईलो में ही लगाया गया है ओर नहीं आपत्ति नोटिस पर स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर कराये गये है। वकील निगरानी गुजार द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आपत्ति नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलकर गुपचुप तरीके से कुट रचित ढंग से यह नोटिस तैयार किया है जो बिलकुल फर्जी प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आवश्यक शर्तो की पालना नहीं की गयी है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

निगरानीगुजार ने यह भी तर्क दिया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया भू खण्ड सुत्र खाना के नाम से जाना जाता है । उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 2 के पिता द्वारा वर्षो पूर्व दिनांक 1.10.1973 को जिसकी सीमाऐं 42 फिट उत्तर दक्षिण व 116 फिट पूर्व पश्चिम जिसके उत्तर दिशा में बाग के सामने वाला चौक दक्षिण दिशा में आम रास्ता पूर्व में गुसाई जी का मंदिर, पश्चिम में आम रास्ता है। उक्त भूखण्ड के अलावा एक मोटर गेराज जो दिनांक 01. 10.1971 को अप्रार्थी संख्या 2 के पिता द्वारा निगरानीगुजार के पिता रघुवीर सिंह पुत्र श्रीदास सिंह निवासी शिवाड व कल्याण पुत्र गोकुलचंद जैन निवासी शिवाड को रजिस्ट्रर्ड दान कर दिया था एवं मौके पर जाकर कब्जा संभलवा दिया गया था। दान पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 के पिता द्वारा लिखा गया कि रघुवीर सिंह हमारे पुराने मुलाजिम है ओर ठिकाने शिवाड में हमेशा सेवादार रहे है। एवं कल्याणमल जैन शिवाड के लडके है ठिकाने के प्रति हमेशा बफादार रहे है इनकी सेवा के बदले उक्त भूखण्ड का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के पिता ने प्रार्थी के पिता व कल्याणमल जैन का कर दिया था जिसमें सुर्तुमुर्ग वाली है उसमें से मंदिर वाला आधा हिस्सा निगरानीगुजार के पिता के हिस्से में आया था जिसका वर्षो से कब्जा बरकरार है। वकील निगरानीगुजार द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि राजस्थान पंचायती एक्ट 1996 की धारा 146 के तहत विवादित भूखण्ड का किसी प्रकार मौका निरीक्षण नहीं किया गया है,यदि मौका निरीक्षण किया जाता तो विवादित भूखण्ड के आधे हिस्से पर निगरानीगुजार का कब्जा बखुबी साबित होता किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट कमरे में बैठकर तैयार करायी गयी एवं किसी स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर कराये बिना ही एक तरफा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

निगरानीगुजार द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त विवादित भूखण्ड रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा प्रार्थी के पिता को प्राप्त हुआ है एवं प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास होने के उपरान्त प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है तथा ग्राम पंचायत को रजिस्टर्ड सेलडीड का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। अतः अन्त में वकील निगरानी गुजार द्वारा निगरानी स्वीकर कर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.14 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 राजराजेश्वर सिंह की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर के यहॉ दावा बाबत दानपत्र दिनांक 01.10.1973 को निरस्त करने हेतु पेश किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थी सत्यवीर सिंह प्रतिवादी संख्या 1 है। विवाद की विषय वस्तु दान पत्र है तथा दान पत्र पंजिकृत होने के कारण न्यायालय हाजा को दान पत्र की वैधानिकता के सम्बन्ध में आदेश प्रतिपादित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निगरानी खारिज करवायी जावें। तथा यह भी तर्क दिया है कि दान पत्र में विवादित सम्पति पर राजराजेश्वर सिंह का पूर्वजो के समय से ही स्वामित्तव व आधिपत्य चला आ रहा है तथा यह भी जाहिर किया गया है कि तथा कथित सम्पति सुत्रखाना के मकानात जिनको दुकान के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा ग्राम के व्यक्तियों द्वारा किराये पर लिया जाना भी कथन किया है तथा किरायेदारो के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है। तथा एक किराये नामे का अप्रामाणित स्टाम्प वर्ष 2011 भी पेश किया गया है तथा यह निवेदन किया है कि जैर कथित सम्पति पूर्वजो के द्वारा निर्मित करायी गयी थी जिसके सम्बन्ध में जागीर कमिश्नर का निर्णय दिनांक 27.11.58 सम्पति की सूची पेश की है जो शिवाड की सम्पति के मद नम्बर 4 में दर्ज है। तथा यह भी निवेदन किया कि जैर कथित सम्पति दानदाता की निजी सम्पति नहीं थी ओर उनको पैतृक सम्पति को दान करने का अधिकार नहीं था ओर नहीं दानगृहिताओ द्वारा बरवक्त दानपत्र कब्जा नहीं लिया गया एवं दानदाता एव दानगृहिता के जीवन काल में उक्त सम्पति पर दानगृहिताओं को अन्तरण नहीं की गयी ओर उक्त सम्पति विक्षपी संख्या 2 राजराजेश्वर सिंह के आधिपत्य में चली आ रही है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप पट्टा सभी प्रावधानों की पालना करते हुये जारी किया गया है। इसलिये विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा नियमों के अनुरूप होने के कारण कानूनन वैध है। जिसे निरस्त नहीं फरमाया जा सकता।

बहस उभय पक्ष सुनी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव अप्रार्थी संख्या 2 राजराजेश्वर सिंह के वकील द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि अप्रार्थी संख्या 2 राजराजेश्वर सिंह की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर के यहॉ वाद संख्या 34/2019 राजेश्वर सिंह बनाम सत्यवीर सिंह वगै. जैरेकार है। उक्त वाद पत्र में प्रार्थी के हक में पंजीकृत दानपत्र को निरस्त करने बाबत इस्तदुआ चाही गयी है। दुसरी ओर सत्यवीर सिंह की ओर से राजेश्वर सिंह के हक में पट्टा जारी करने का आदेश को मौजुदा निगरानी में चुनोती दी गयी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सिविल न्यायालय में लम्बित वाद एवं

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

12/A

मौजुदा निगरानी में वाद की विषयवस्तु एक समान है। चुकि निगरानी में रजिस्ट्रर्ड दानपत्र की वैधानिकता के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नहीं है, इस हेतु सिविल न्यायालय में वाद जैरेकार है। परिणामतयः अप्रार्थी संख्या 2 राजराजेश्वर सिंह के हक में पट्टा जारी करने के संबंध में विवेचित करने पर माननीय सिविल न्यायालय में लम्बित वाद के गुणावगुण प्रभावित होते है। परिणामस्वरूप हमारे विनम्र अभिमत में सिविल न्यायालय में नम्बरी वाद जैरेकार होने के फलस्वरूप मौजुदा निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.3.19 .....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर